

भारतसरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेलमंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवेबोर्ड RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2025/PM1/3

New Delhi, dated 23.03.2026

The General Manager (P),  
All Zonal Railways /PUs.

**Sub: General Department Competitive Examination (GDCE) for filling up 25% of the Direct Recruitment Quota Vacancies- clarifications on Examination Pattern and Syllabus-regarding.**

Attention is invited to Board's letter No. E(NG)I/2025/PM1/3 dated 23.12.2025 ( Para-3 of the RBE No. 128/2025), wherein it has been stipulated that GDCE shall be conducted at the Zonal Railway level through an **Examination Conducting Agency (ECA)**. Instructions for setting of Question Papers in GDCE by ECA as enumerated in Railway Board's letter no. E(NG)I/2021/PM1/8, dated 29/11/2022 (Para-26 of Master Circular 69/2024) may also be referred.

2. Certain clarifications regarding the modalities for conducting GDCE, Examination Pattern and Syllabus etc. were sought by some of the Zonal Railways and RRBs. It has now been decided that following instructions shall henceforth be adopted for the Examination Pattern and Syllabi to be used for the purposes of GDCE: -

**Table-A :-**

GDCE Examination Parameter	Clarifications
Number of Question Papers/Stages of examination	There shall be a Single Stage CBT/TBT for each category or group of posts and one MCQ based Question Paper on the same pattern as is being followed presently for Direct Recruitment by RRBs in it's second stage. The categories involved shall be - (1)Technicians (All Departments), (2) Junior Engineers (All Departments), (3) NTPC Graduate Quota, (4) NTPC Non-Graduate Quota. (5) Section Controllers, (6) Ministerial & other Isolated Categories. (7) Asstt. Loco Pilot (ALP), the Examination Pattern, Stages & Syllabus for ALP category is separately shown below in <b>Table-B</b> .
Modality for grouping of zones	There will be no grouping of zones. The Railways will plan and execute GDCE as per their requirements as stipulated in RBE 128/2025. However the ECA may resort to grouping of different zones for different stages of Examination for its operational requirements.
Whether a calendar based approach would be adopted?	All Zonal Railways/PUs have already been advised to plan and conduct all selections through the system of SELECTION CALENDAR, this covers GDCEs as well

Contd-2/-

Syllabus and Examination Pattern for GDCE vis-a-vis Direct Recruitment	The syllabus and Examination pattern is same as prescribed by RRB for the Direct Recruitment except ALP category for which a revised examination pattern is being given below <b>(Table- B)</b> .
Implementation of present GDCE Scheme or any changes are being made.	No change in the existing frame work of instructions for conduct of GDCE is required. The GDCEs shall continue to be organised in accordance with the extant instructions and guidelines as amended from time to time and reiterated in the <b>Master Circular No. 69/2024 and RBE No. 128/2025 recently.</b>

4. The following examination structure shall be adopted for GDCE in the ALP category: -

**Table-B :-**

Examination Parameters	Details
Number of Question Paper	One
Type of Question Paper	MCQ ((Four options for each question to be given, one of them being the correct answer; the candidate will be required to indicate his one choice out of four choices given and his answers shall be evaluated on the basis of correctness of that indicated choice.
Number of Total Questions	Total maximum 100 Multiple Choice Questions in the Question Paper.
Total Maximum Marks	100 (Each question shall be of one mark).
Maximum Time Allowed	120 Minutes
Negative Marking System	Yes, 1/3 mark to be deducted from the total marks obtained by a candidate for every wrong answer indicated by him.
Parts of Question Paper	Each Question Paper shall have questions from following four Parts, the weightage of each part shall roughly be as shown below:: - (i) Mathematics - 25% (ii) General Intelligence & Reasoning - 25% (iii) Basic Science & Engineering - 25% (iv) Trade Specific Section - 25%
Syllabus	The syllabus will be the same as that prescribed by the RRB for direct recruitment in ALP category from open market for Mathematics, General Intelligence & Reasoning and Basic Science & Engineering. For the fourth part of the Question Paper (i.e. Trade Specific Section) around 25 questions shall be asked based on the common topics of the syllabus as prescribed by the Directorate General of Training (DGT) under MSDE for the relevant trades combinedly (15 Trades are specified for ALP Direct Recruitment Educational


	Qualification from open market).
Difficulty Matrix	As per matrix fixed by the RRB for direct recruitment for ALP category.
Criteria to qualify	As per RRB standards for direct recruitment for ALP category.
CBAT	As prescribed for direct recruitment by RRB for ALP category in consultation with the RDSO.

4. These instructions for conducting GDCE through CBT/TBT mode through designated ECA in the prescribed manner herein shall come into force with immediate effect. Therefore, all fresh notifications issued hereinafter shall conform to these instructions.

5. On the issue of pending GDCEs (including GDCE for ALP Category) which have already been notified but not yet finalised (that means where CBTs are held but rest of the stages remain to be completed and panels are not formed yet), in such cases the Railways may decide to continue existing pending GDCEs but in such cases where CBTs have not been held the Railways may decide to hold GDCEs afresh or otherwise depending on their local circumstances. However, in cases of pending GDCE for ALP posts where no CBT has been held yet as on date, either a fresh notification or an opportunity for fresh applications through a modification in the notification, as the case may be, shall have to be provided. The instructions pertaining to assignment and nomination of the ECA for conduct of GDCE shall be issued separately shortly.

Hindi version will follow

Please acknowledge receipt




( Ajay Goyal )  
Deputy Director-III/E(NG)I  
Railway Board

E(NG)I/2025/PM1/3

New Delhi, dated 23.03.2026

**Copy forwarded to:-**

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.

  
23.03.2026  
for PED(IR)/Railway Board

Advisor/MR, PSSs/MoSR(D), MOSR (J), EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Coord/MR

PPSs to Chairman & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(HR), PED(Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL), JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/C-III and Code Revision Cell.

\*\*\*\*

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I/2025/पीएम1/3

नई दिल्ली, दिनांक 23.03.2026

महाप्रबंधक (कार्मिक),  
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों के 25% भरने के लिए सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जीडीसीई) - परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम के संबंध में स्पष्टीकरण।

बोर्ड के दिनांक 23.12.2025 (आरबीई सं. 128/2025 के पैरा-3) के पत्र संख्या ई(एनजी)I/2025/पीएम1/3 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी (ईसीए) द्वारा सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी द्वारा सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए अनुदेश रेलवे बोर्ड के दिनांक 29/11/2022 के पत्र संख्या ई(एनजी)I/2021/पीएम1/8 (मास्टर परिपत्र 69/2024 के पैरा-26) में उल्लिखित अनुदेशों का भी संदर्भ लिया जाए।

2. कुछ क्षेत्रीय रेलों और रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की पद्धतियों, परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम आदि के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे। अब यह विनिश्चय किया गया है कि अब से सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्यों के लिए परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम हेतु निम्नलिखित अनुदेश अपनाए जाएंगे:-

तालिका-क:-

सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का मानदंड	स्पष्टीकरण
प्रश्न पत्रों की संख्या/परीक्षा के चरण	प्रत्येक कोटि अथवा पदों के समूह के लिए एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा/टैबलेट आधारित परीक्षा होगी और उसी पैटर्न पर एक बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित प्रश्न पत्र होगा जैसा कि वर्तमान में रेल भर्ती बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती हेतु दूसरे चरण में अनुपालन किया जा रहा है। शामिल कोटियां निम्नानुसार हैं-  (1) तकनीशियन (सभी विभाग), (2) जूनियर इंजीनियर (सभी विभाग), (3) गैर-तकनीकी लोकप्रिय स्नातक कोटा, (4) गैर-तकनीकी लोकप्रिय गैर-स्नातक कोटा, (5) खंड नियंत्रक,

	(6) मंत्रिस्तरीय और अन्य पृथक कोटियां, (7) सहायक लोको पायलट (एएलपी), सहायक लोको पायलट कोटि के लिए परीक्षा पैटर्न, चरण और पाठ्यक्रम नीचे तालिका-ख में अलग से दर्शाए गए हैं।
जोनों के समूहीकरण हेतु विधि	ज़ोन का कोई समूहीकरण नहीं होगा। आरबीई 128/2025 में निर्धारित किए गए अनुसार, रेलवे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की योजना बनाएगी और उसे निष्पादित करेगी। बहरहाल, ईसीए अपने संचालन संबंधी आवश्यकताओं हेतु परीक्षा के विभिन्न चरणों के लिए विभिन्न ज़ोनों के समूहबद्ध का सहारा ले सकती है।
क्या कैलेंडर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा?	सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयों को पहले ही सूचित किया गया है कि वे चयन संबंधी योजना बनाएं और चयन कैलेंडर प्रणाली के माध्यम से चयन करें, इसमें सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा भी शामिल हैं।
सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की तुलना में सीधी भर्ती के लिए पाठ्यक्रम तथा परीक्षा पैटर्न	पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न वही है जो रेल भर्ती बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के लिए निर्धारित किया गया है, सिवाय सहायक लोको पायलट कोटि हेतु जिसके लिए नीचे एक संशोधित परीक्षा पैटर्न दिया गया है (तालिका-ख)।
वर्तमान सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा योजना का क्रियान्वयन या किए गए परिवर्तन।	सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के संचालन के लिए मौजूदा अनुदेशों की रूपरेखा में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है। सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन समय-समय पर संशोधित मौजूदा अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार जारी रहेगा और हाल ही में मास्टर परिपत्र संख्या 69/2024 और आरबीई संख्या 128/2025 में इसे दोहराया गया है।

3. सहायक लोको पायलट कोटि में सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए निम्नलिखित परीक्षा संरचना अपनाई जाएगी:-

तालिका-ख:-

परीक्षा मापदंड	ब्यौरा
प्रश्न पत्र की संख्या	एक
प्रश्न पत्र का प्रकार	बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक सही उत्तर होगा; उम्मीदवार को दिए गए चार विकल्पों में से अपना एक विकल्प चुनना होगा और उसके उत्तर का मूल्यांकन उसके द्वारा चयनित सही विकल्प के आधार पर किया जाएगा)।
कुल प्रश्नों की संख्या	प्रश्न पत्र में अधिकतम कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न।
अधिकतम कुल अंक	100 (प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा)।

अधिकतम अनुमत समय-सीमा	120 मिनट
नेगेटिव मार्किंग प्रणाली	जी हाँ, उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे।
प्रश्न पत्र के भाग	प्रत्येक प्रश्न पत्र में निम्नलिखित चार भागों से प्रश्न होंगे, प्रत्येक भाग की लगभग भारिता निम्नानुसार दर्शाया गया है:- (i) गणित - 25% (ii) सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति - 25% (iii) बेसिक विज्ञान और इंजीनियरिंग - 25% (iv) ट्रेड विशिष्ट भाग - 25%
पाठ्यक्रम	गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति तथा बेसिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए पाठ्यक्रम ओपन मार्केट से सहायक लोको पायलट कोटि में सीधी भर्ती के लिए रेल भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। प्रश्न पत्र के चौथे भाग (अर्थात् ट्रेड विशिष्ट भाग) में लगभग 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो संबंधित ट्रेडों के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के सामान्य विषयों पर आधारित होंगे (ओपन मार्केट से सहायक लोको पायलट सीधी भर्ती शैक्षिक योग्यता के लिए 15 ट्रेड निर्धारित हैं)।
मैट्रिक्स महत्व	सहायक लोको पायलट कोटि हेतु सीधी भर्ती के लिए रेल भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित मैट्रिक्स के अनुसार।
अर्हता मानदंड	सहायक लोको पायलट कोटि हेतु सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड मानकों के अनुसार।
कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के परामर्श में सहायक लोको पायलट कोटि हेतु रेल भर्ती बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के लिए निर्धारित के अनुसार।

4. निर्दिष्ट तरीके से नामित परीक्षा संचालन एंजेसी के माध्यम से कंप्यूटर आधारित परीक्षण/टेबलेट आधारित परीक्षण मोड के माध्यम से सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अतः, इसके बाद जारी की जाने वाली सभी नई अधिसूचनाएं इन निर्देशों के अनुरूप होंगी।

5. लंबित सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं (जिसमें सहायक लोको पायलट श्रेणी के लिए सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा भी शामिल है) के मुद्दे पर, जो पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं लेकिन अभी तक अंतिम रूप नहीं पाए हैं (जिसका अर्थ है कि जहाँ कंप्यूटर आधारित परीक्षण आयोजित किए गए हैं लेकिन बाकी चरण पूरे होने शेष हैं और पैनल अभी तक बनाए नहीं गए हैं), ऐसे मामलों में रेलवे मौजूदा लंबित सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा को जारी रखने का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में जहाँ कंप्यूटर आधारित

परिक्षाएं आयोजित नहीं की गई हैं, रेलवे अपने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नए सिरे से, सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने या अन्यथा के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। बहरहाल, सहायक लोको पायलट पदों के लिए लंबित सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के मामलों में, जहाँ अभी तक कोई कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, या तो एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी या अधिसूचना में संशोधन करके नई आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जैसा कि स्थिति के अनुसार उपयुक्त होगा। सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के संचालन के लिए परीक्षा संचालन एजेंसी के असाइनमेंट और नामांकन से संबंधित दिशा-निर्देश शीघ्र ही अलग से जारी किए जाएंगे।

कृपया पावती दें।



(अजय गोयल)

उपनिदेशक-III/ई(एनजी)

रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)I/2025/पीएम1/3

नई दिल्ली, दिनांक 23 .03.2026

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली



23.03.2026

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (आईआर)/रेलवे बोर्ड